प्रेस नोट थाना शिकोहाबाद दिनांक 02-07-2026 जनपद फिरोजाबाद।

- **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन में थाना शिकोहाबाद पुलिस टीम द्वारा थाना रसूलपुर के गैस्टर एक्ट में वांछित ₹25,000/- का इनामियाँ अभियुक्त शेषपाल गिरफ्तार कब्जे से अवैध असलाह बरामद।**
- **शातिर इनामियाँ अभियुक्त द्वारा दिनांक 27.06.2026 को थाना शिकोहाबाद क्षेत्रान्तर्गत टप्पेबाजी की घटना कारित की गयी थी जिसमें वादी को अपनी बातों में बहला-फुसलाकर उसकी एक सोने की अंगूठी, एक जोड़ी सोने के टॉप्स तथा ₹5,000/- नगद लेकर फरार हो गया तथा वादी की जेब में खाली पर्स रख दिया।**
- **घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल तथा वादी से ठगी/बहला-फुसलाकर लिये गये सोने के आभूषण एवं नकदी सहित गिरफ्तार किया गया।**
- **शातिर 25 हजार के इनामियाँ अभियुक्त शेषपाल पर विभिन्न जनपदों में दो दर्जन अभियोग हैं पंजीकृत............**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन में अपराधियों की गिरफ्तारी एवं अपराध नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी शिकोहाबाद के कुशल नेतृत्व में थाना शिकोहाबाद पुलिस टीम द्वारा दिनांक 01.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए ₹25,000/- के इनामी एवं थाना रसूलपुर से गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त शेषपाल पुत्र भारत सिंह निवासी ग्राम जौनई, थाना जसवन्त नगर, जनपद इटावा, उम्र करीब 40 वर्ष को छिछामई नहर पुल के पास से गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 28.06.2026 को वादी सुभाषचन्द्र पुत्र अनवर सिंह निवासी साहूकार की ठार, थाना सिरसागंज, जनपद फिरोजाबाद द्वारा थाना शिकोहाबाद पर तहरीर देकर अवगत कराया गया कि दिनांक 27.06.2026 को प्रातः लगभग 07:00 बजे वह दर्पण मैरिज होम, वटेश्वर रोड, शिकोहाबाद से रेलवे स्टेशन की ओर पैदल जा रहा था तभी माधौगंज पेट्रोल पम्प से पहले एक अज्ञात व्यक्ति अपाचे मोटरसाइकिल पर आया तथा उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा लिया। माधौगंज पुल के ऊपर पहुँचकर उक्त व्यक्ति ने वादी को अपनी बातों में बहला-फुसलाकर उसकी एक सोने की अंगूठी, एक जोड़ी सोने के टाप्स तथा ₹5,000/- नगद लेकर फरार हो गया तथा वादी की जेब में खाली पर्स रख दिया। घटना की सूचना पर थाना शिकोहाबाद पर मु0अ0सं0 491/2026 धारा 316(2) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना पर दिनांक 01.07.2026 को थाना शिकोहाबाद पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त शेषपाल उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से घटना से सम्बन्धित ₹5,000/- नगद, एक अदद पीली धातु की अंगूठी, एक जोड़ी पीली धातु के टाप्स तथा घटना में प्रयुक्त अपाचे मोटरसाइकिल (बिना नम्बर प्लेट, चेचिस नं0 MD634BE85S2P07364) बरामद हुई। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा उक्त घटना कारित करना स्वीकार किया गया, जिसके आधार पर अभियोग में उसका नाम प्रकाश में आया तथा धारा 317(4) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी। गिरफ्तारी के समय अभियुक्त के कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर एवं दो अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर भी बरामद हुए। बरामद अवैध शस्त्र एवं कारतूस के सम्बन्ध में थाना शिकोहाबाद पर मु0अ0सं0 504/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह लोगों को अपनी बातों में फँसाकर उनके रुपये एवं आभूषण हड़पने का अभ्यस्त अपराधी है तथा विभिन्न जनपदों में उसके विरुद्ध इस प्रकार के अनेक अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्त थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद में पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित/फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा ₹25,000/- का पुरस्कार घोषित किया गया था।गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

1.शेषपाल पुत्र भारत सिंह निवासी ग्राम जौनई, थाना जसवन्त नगर, जनपद इटावा, उम्र करीब 40 वर्ष

बरामदगी का विवरण –

1. एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर।
2. दो अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर।
3. ₹5,000/- नगद।
4. एक अदद पीली धातु की अंगूठी।
5. एक जोड़ी पीली धातु के टाप्स।
6. घटना में प्रयुक्त एक अदद अपाचे मोटरसाइकिल (काले रंग की, बिना नम्बर प्लेट, चेचिस नं0 MD634BE85S2P07364)।

➢ **आपराधिक इतिहास-**

1-मु0अ0स0 284/2020 धारा 380, 411भा0द0स0 थाना इकदिल जिला इटावा
2-मु0अ0स0 304/2020 धारा 406, 411, 420 भा0द0स0 थाना इकदिल जिला इटावा
3-मु0अ0स0 309/2020 धारा 411/420 भा0द0स0 थाना इकदिल जिला इटावा
4-मु0अ0स0 310/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना इकदिल जिला इटावा
5- मु0अ0स0 311/2020 धारा 411/420 भा0द0स0 थाना इकदिल जिला इटावा
6-मु0अ0स0 357/2020 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना इकदिल जिला इटावा
7-मु0अ0स0 142/2022 धारा 323, 342, 504, 506 थाना जसवन्तनगर जिला इटावा
8-मु0अ0स0 240/2020 धारा 380, 411, 457 थाना कोतवाली जिला इटावा
9-मु0अ0स0 456/2020 धारा 392/411 भा0द0स0 थाना कोतवाली जिला इटावा
10-मु0अ0स0 460/2020 धारा 406, 411, 420 भा0द0स0 थाना कोतवाली जिला इटावा
11- मु0अ0स0 658/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली जिला मैनपुरी

12-मु0अ0स0 264/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना नारखी जिला फिरोजाबाद
13-मु0अ0स0 286/2025 धारा 303(2)/317(2)/318(4) बीएनएस थाना नारखी जिला फिरोजाबाद
14- मु0अ0स0 188/2022 धारा 379, 406, 411, 419, 420 भा0द0स0 थाना नसीरपुर जिला फिरोजाबाद
15- मु0अ0स0 148/2026 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना रसूलपुर जिला फिरोजाबाद
16-मु0अ0स0 682/2022 धारा 406/420 भा0द0स0 थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद
17-मु0अ0स0 856/2022 धारा 411/417 भा0द0स0 थाना शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद
18-मु0अ0स0 899/2022 धारा 394/411 भा0द0स0 थाना शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद
19-मु0अ0स0 900/2022 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट व 41/102 द0प्र0स0 व 307/411/414/420 भा0द0स0 थाना शिकोहाबाद
20-मु0अ0स0 901/2022 धारा 417 भा0द0स0 थाना शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद
21-मु0अ0स0 90/2023 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद
22-मु0अ0स0 757/2022 धारा 406/420 भा0द0स0 थाना टूण्डला जिला फिरोजाबाद
23- मु0अ0सं0 491/2026 धारा 316(2)/317(4) बीएनएस, थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।
24-मु0अ0सं0 504/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।

➢ **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः---**

1. प्रभारी निरीक्षक अनुज कुमार थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद
2. उ0नि0 ऋषभ देव भारद्वाज, थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद
3. उ0नि0 मनमोहन शर्मा, थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद
4. हे0का0 346 दिलीप कुमार थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद
5. का0 553 राजीव भाटी थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद
6. का0 1545 अभिषेक कुमार थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद
7. हो0गा0 1369 कौशल किशोर थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद